जनपद देहरादून में प्र0ग्रा0 सड़क योजना के अन्तर्गत पुरूकुलगांव से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या। आख्या सं० 227/2173/09

1. निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग हरिद्वार के अन्तर्गत 10.400 कि0मी0 लम्बाई में पुरूकुलगांव से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग हरिद्वार के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 2.12.2009 को सम्बंधित सहायक अभियन्ता श्री आर. के. चौहान एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री बी. एन. गोदियाल के साथ निरीक्षण किया गया।

2. प्र0 ग्रा0 योजना के अन्तर्गत पुरूकुल गांव से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का 10.400 कि0मी0 लम्बाई में निर्माण का प्रस्ताव है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखनों पर सर्वेक्षण कराया गया है। समरेखन संख्या दो पर स्थानीय ग्रामवासियों की असहमति एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, हरिद्वार द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित समरेखन मालसी से पुरूकुल गांव पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के अंतिम चैनेज से हिल साईड में आरम्भ होता है तथा कण्डधार, काकडम रार, रयाड़ तथा बड़ी भितरली होते हुये छोटी भितरली पर समाप्त होता है। समरेखन में कुल तीन हेयर पिन बैण्ड्स प्रस्तावित हैं। अवगत कराया गया कि समरेखन अलग–अलग भाग में नाप भूमि, सिविल भूमि एवं आरक्षित वनभूमि से होकर गुजरता है। दो स्थान पर समरेखन स्थानीय गधेरों को पार करता है, जिन पर लघु सेतुओं के निर्माण की आवश्यकता होगी। समरेखन क्षेत्र में स्थान–स्थान पर सैण्डस्टोन, फिलाईट एवं लाईमस्टोन चट्टाने दृष्टिगोचर हैं, इनके ऊपर मिट्टी/डेब्री का ओवरबर्डन है। इस क्षेत्र में भूमि का ढलान सामान्यतः 20^{0} से 45^{0} तक प्रतीत होता है किन्तु चट्टानी भाग में ढलान कहीं–कहीं तीव्र भी है। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नहीं हुई।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू–आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हे प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहॉ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहॉ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन मे प्रस्तावित हेयर पिन बैण्ड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में बनाये जाये। प्रथम दो बैण्ड्स के मध्य यथासम्भव दूरी बढाई जाये।

(ग) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को avoid किया जाये अन्यथा फर्म स्ट्रेटा न होने की स्थिति मे मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूस्खलन होने तथा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।

(घ) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(च) समरेखन में अपेक्षाकृत तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(छ) जहॉ मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

(ज) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(झ) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दुः–

(i) मार्ग कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाडी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाडी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती हैं।

(ii) तीव्र चट्टानी ढलान मे blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सक्रिय हो सकते है तथा नई दरारे भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहां आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये।

5. पुरूकुल गांव से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 10.400 कि0मी0 लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणीः–

(1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/ मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।

(2) मुख्य अभियन्ता स्तर'1 लो0 नि0 वि0, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गो के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पंत्राक 7272/8(1)याता0–उ0/ 05 दिनांक 16.11.2005 में दियें गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जायें।

H. Kumar 10.12.09